भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4207
उत्तर दिनांक 18/03/2026 को दिया गया

नाभिकीय ईंधनों पर सीमा शुल्क में छूट

4207. श्री रमेश अवस्थी
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) वर्ष 2035 तक नाभिकीय ईंधनों और रिएक्टर घटकों पर सीमा शुल्क में कुल छूट से नाभिकीय ऊर्जा की प्रति इकाई लागत पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा;

(ख) दस नई अनुमोदित 700 मेगावाट क्षमता वाले दाबित भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) इकाइयों के लिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने हेतु किए जा रहे विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) को आवंटित अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) निधि में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है क्योंकि इस वर्ष इसका बजट आवंटन लगभग दोगुना हो गया है;

(घ) क्या तटीय राज्यों में आगामी नाभिकीय 'पार्कों' के निर्माण और संभार तंत्र में तेजी लाने के लिए पीएम गति शक्ति ढांचे को एकीकृत करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के लिए आवश्यक सामानों के आयात पर शून्य सीमा शुल्क लागू किए जाने से उन परियोजनाओं की परियोजना लागत तथा उत्पादित विद्युत इकाई लागत में कमी आएगी, जो विदेशी सहयोग से स्थापित की जा रही हैं और जिनमें आयातित उपकरणों की मात्रा अधिक होती है। इससे परियोजनाएं अधिक व्यवहार्य बनेंगी।

(ख) एनपीसीआईएल द्वारा 10 नई अनुमोदित 700 मेगावाट(वि) पीएचडब्ल्यूआर इकाइयों के लिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार हैं:

- आदेशों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए थोक आदेश जारी करना।
- आवश्यक मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करते हुए विक्रेता आधार का विस्तार करना।

- आयात प्रतिस्थापन के लिए स्वदेशी उपकरणों का विकास और विक्रेता विकास।
- कुछ उपकरणों को वर्ग-1 स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए आरक्षित रखना।
- एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए विक्रेता बैठकों का आयोजन और बोलियों में एमएसएमई को प्राथमिकता देना।

(ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) विभिन्न स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां संचालित करता है। बीएआरसी को आवंटित बढ़े हुए अनुसंधान एवं विकास वित्तपोषण का मुख्य उद्देश्य, आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए विभागीय अधिदेश के अनुरूप बहुविषयक क्षेत्रों में नए अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी विकास पर है। मुख्य केंद्रित क्षेत्रों में शामिल हैं;

(i) अनुसंधान एवं विकास के लिए नए अनुसंधान रिएक्टरों के विकास और तैनाती का प्रमुख कार्यक्रम।

(ii) आइसोटोप उत्पादन में विशेष रूप से कैंसर उपचार के लिए आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए आइसोटोप प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ आइसोटोप उत्पादन रिएक्टर।

(iii) बिजली और हाइड्रोजन उत्पादन के लिए लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) सहित नए रिएक्टरों के लिए रिएक्टर प्रौद्योगिकियों का विकास जिसमें संबद्ध हाइड्रोजन उत्पादन चक्रों और उनके अग्र एवं पश्च-भाग ईंधन चक्रों का विकास शामिल है।

(iv) इन उन्नत प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु सामाजिक, चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए उच्च कणपुंज (बीम) ऊर्जा प्राप्त करने के लिए त्वरक कार्यक्रम के साथ-साथ संबद्ध क्रायोजेनिक और अतिचालक प्रौद्योगिकियों का विकास।

(v) चिकित्सीय और अभियांत्रिकी अनुप्रयोगों के लिए लेजर-आधारित प्रौद्योगिकी का विकास, और

(vi) इन प्रमुख कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए उन्नत सामग्री और विनिर्माण प्रौद्योगिकियों का विकास।

(घ) व (ङ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****